

>

Title: Need to release funds for award of scholarships to SC, ST and OBC Students in Rajasthan

**श्री महावीर भगोरा (सलूमबर):** सभापति महोदय, भारत सरकार की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उत्तर मेट्रिक छातृवृति देने की योजना है। योजनान्तर्गत पंचवर्षीय योजना के अन्त में व्यय राशि आगामी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार द्वारा पूर्व दायित्व के रूप में वहन की जाती है। भारत सरकार द्वारा पूर्व दायित्वों के अतिरिक्त नवीन दायित्वों पर होने वाली समस्त व्यय राशि को वहन किया जाना है।

राजस्थान राज्य द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत नवीन दायित्वों की देय समस्त राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, जो क्रमशः अनुसूचित जाति के लिए 11 करोड़ रुपये, जनजाति के लिए 10 करोड़ रुपये व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक करोड़ रुपये राज्य मद से व्यय किया गया है। प्रतिवर्षीय निजी क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के खुलने से उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि से छातृवृति की राशि में भी बढ़ोतरी हो रही है। भारत सरकार द्वारा पूर्व दायित्व की छातृवृति अनुसूचित जाति 17.47 करोड़, जनजाति की 30.27 करोड़, अन्य पिछड़ा वर्ग की 16.6 करोड़ रुपये, कुल 64.34 करोड़ रुपया बकाया है, जिसके शीघ्र भुगतान हेतु माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से मैं आग्रह करता हूँ।